

**FORM -21C**

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

**Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the people Act, 1951**

Election to the Legislative Assembly of the Rajasthan (state) from **(22) CHURU** Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961

I declare that -

**Sh. RAJENDRA RATHORE**

(Name)


**A-5, SAINIK BASTI, CHURU (RAJ.) PIN-331001**

(Address)

sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised/registerd political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place : Churu

Date 11-12-2018

  
(Shweta Kochar)  
Returning Officer  
22-CHURU

( Shweta Kochar )  
Returning Officer  
Assembly Constituency (022)  
(SDM) Churu

प्ररूप 21 ग  
(नियम 64 देखिए)  
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव  
लड़ा गया हो ) )

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा ।

चूरु-22 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य )की विधानसभा के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता / करती हूँ कि

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नाम)  
ए- 5, सैनिक बस्ती, चूरु(राज • ) पिन-331001 (पता)

[जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त / रजिस्टर्ड राजनैतिक दल का नाम ) उपयुक्त निर्वाचन -क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने की लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : चूरु  
दिनांक : 11-12-2018

  
(श्वेता कोचर)  
रिटर्निंग अधिकारी  
22-चूरु  
 (Shweta Kochhar)  
Returning Officer  
Assembly Constituency (022)  
(SDM) Churu